माध्यमिक शिक्षा में नामांकन पर अदृश्य लागत का प्रभाव
बिहार के कैमूर ज़िले के संदर्भ में

उमेश गुप्ता*
मधु कुशवाहा**

बुनियादी कौशल प्राप्त करने के अवसरों में प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक विद्यार्थियों की माध्यमिक विद्यालय में पहुँच बनाना है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा में पहुँच में कई बाधाएँ हैं; एक महत्वपूर्ण बाधा जो शायद सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है, वह माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत है। माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत से तात्पर्य उन लागतों से है जो विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में सरकार द्वारा निर्धारित फ़ीस के अतिरिक्त अन्य लागत के रूप में अभिभावकों को वहन करना पड़ता है। वैसे तो यह लागत प्रत्यक्षतः दिखाई नहीं देती है, परंतु शिक्षा पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। माध्यमिक शिक्षा में बढ़ती हुई अदृश्य लागत नामांकन एवं 'विद्यालय बीच में छोड़ देने की दर' (ड्रॉप-आउट) को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। साथ ही साथ, यह आर्थिक बोझ एवं संरचनात्मक गरीबी को भी बढ़ावा देती है, जो ग्रामीण शिक्षा विशेषकर बालिका शिक्षा के अवसरों पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस शोध पत्र में बिहार के कैमूर जिले में माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत की विभिन्न मदों की पहचान, मापन तथा नामांकन पर उनके प्रभाव का अध्ययन प्राप्त किया गया है। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम एक समझ विकसित करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अदृश्य लागत क्या है? तथा विद्यार्थियों के शैक्षिक अवसरों को यह किस प्रकार प्रभावित करती है? इस अध्ययन के परिणामों के आधार पर ऐसे मुद्दों से संबंधित शिक्षा नीति के मसौदें, उपयुक्त अधिनियम एवं योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अदृश्य लागत न्यूनतम और नामांकन अधिकतम हो सकें। साथ ही साथ इस अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि के आधार पर ऐसे नीतिगत सुझाव दिए जा सकें ताकि बिहार जैसे 'माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निम्न नामांकन दर वाले राज्य' में सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा स्तर पर बराबर पहुँच हो सके।

बुनियादी कौशल प्राप्त करने के अवसरों में प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक विद्यार्थियों की माध्यमिक विद्यालय में पहुँच बनाना है। जीवन में उन्नति, सक्रिय नागरिकता एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के सुरक्षित चुनाव हेतु माध्यमिक विद्यालय में प्राप्त किया गया बुनियादी कौशल आवश्यक हैं

*शोधार्थी, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221 005
**प्रोफ़ेसर, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221 005

© NCERT not to be republished

(ई.एफ.ए. वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2015)। माध्यमिक शिक्षा, शैक्षिक संरचना की मध्यस्त कड़ी है, जिसके नीचे प्रारंभिक शिक्षा और ऊपर विश्वविद्यालय शिक्षा होती है। माध्यमिक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो देश को सुयोग्य नागरिक प्रदान कर नए राष्ट्र की संरचना करने में योगदान देती है, क्योंकि यह आयु वर्ग एक ऊर्जावान कार्यबल है और उनके विकास में हमारा निवेश ही यह निर्धारित करेगा की हम इस मानव शक्ति का कैसा प्रयोग कर पाएँगे। *ई.एफ.ए. वैश्विक निगरानी रिपोर्ट, 2015* के अनुसार, विश्व के 94 देशों ने निम्न माध्यमिक विद्यालय शिक्षा (9–10) को मुफ्त किया है, जिसमें से 24 देशों ने वर्ष 2000 से इसे अनिवार्य किया है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक 10 भारतीयों में एक भारतीय (14–18) आयु वर्ग का है और यह आयु वर्ग माध्यमिक शिक्षा हेतु उपयुक्त होता है। अतः इस आयु वर्ग की शिक्षा व्यवस्था तक पहुँच का मुद्दा महत्वपूर्ण शैक्षिक नीतियों से संबंधित है।

मानव संसाधन द्वारा ही विकास की वर्तमान एवं भविष्य की दिशा निर्धारित होती है। शिक्षा द्वारा रोज़गार के अवसर एवं आय स्तर में वृद्धि होती है (पाटिल, 2000)। अनेक समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों द्वारा यह सिद्ध किया है कि देश तब तक अविकसित रहता है, जब तक उसके नागरिक शिक्षा से वंचित रहते हैं। यू.एस.ए. व जापान जैसे विकसित देशों ने अपने विकास के लिए सर्वप्रथम शिक्षा को ही बढ़ावा दिया। शिक्षा का सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस तथ्य को भारतीय नीति-निर्माताओं ने भी भली-भाँति अंगीकार किया है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चे, जो कि भारत के भविष्य हैं, के लिए स्कूली शिक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि वे जीवन के लिए आवश्यक कौशल एवं मूल्यों को सीख सकें। यद्यपि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं ने नीति, कानून, आधारभूत संरचना, सुविधा, प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति इत्यादि हेतु कुछ सकारात्मक पहल की हैं। इसके बावजूद भी सरकारी स्कूलों में खासकर के माध्यमिक स्कूलों में नामांकन में गिरावट हो रही है।

विभिन्न शोध साहित्यों एवं शैक्षणिक आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा में पहुँच की कई बाधाएँ हैं; एक महत्वपूर्ण बाधा और शायद जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती है, वह है— माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत। माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत से तात्पर्य उन लागतों से है, जो माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में सरकार द्वारा निर्धारित फ़ीस के अतिरिक्त अन्य लागत (जैसे— किताब, ट्यूशन, परिवहन, अवसर व अन्य खर्च) के रूप में अभिभावक को वहन करना पड़ता है।

बालक तथा बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों पर शिक्षा में अदृश्य लागत आर्थिक बोझ को बढ़ाती है, इससे संरचनात्मक गरीबी को स्थायित्व मिलता है। संरचनात्मक गरीबी नामांकन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। संरचनात्मक गरीबी शहरी शिक्षा की अपेक्षा ग्रामीण शिक्षा पर और ग्रामीण शिक्षा में भी बालक के अपेक्षा बालिका शिक्षा पर अधिक नकारात्मक प्रभाव डालती है, क्योंकि गाँव के लड़के तो शहर/ कस्बे प्रवास करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, परंतु गाँव की लड़कियाँ ऐसा नहीं कर पाती हैं।

© NCERT not to be republished

शिक्षा में अदृश्य लागत, जैसे— विद्यालय में परीक्षा खर्च, सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों पर खर्च बच्चों के शैक्षिक निष्पादन को प्रभावित करता है (मर्कोट, 2011; नैन्सीमचुरी, 2013; जोसेफ, 2015)। बालक तथा बालिकाओं के शैक्षिक अवसरों पर शिक्षा में अदृश्य लागत का सीधे तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु बालिकाओं को आर्थिक कारकों के अतिरिक्त अन्य कई कारणों का संयोग, जैसे— अभिभावकीय उदासीनता, सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लागत, बालिकाओं की शिक्षा के लाभ का बाज़ार में प्रतिबिम्बन एवं विज्ञापन में असफलता, सामाजिक व्यवस्थाओं में बालिकाओं की कम सहभागिता इत्यादि भी प्रभावित करते हैं (सेन एवं ड्रेज, 1995)। सलीम, 1999; जयचंद्र एवं श्रीधर, 2002; मालिक, 2003 तथा प्रियाभूषण, 2012 ने शिक्षा में अदृश्य लागत के अतिरिक्त माता-पिता की शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक माना है। प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर नामांकन एवं अवरोधन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक— सामाजिक कारक, अभिभावकीय शैक्षिक स्थिति एवं अपने सहोदर भाई-बहन की देखभाल करना है (रेड्डी, 2004; रेना, 2007; अवस्थी एवं पाण्डेय, 2009)। वहीं बिहार आधारित एक अध्ययन में यह परिणाम ज्ञात हुआ है कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर जेंडर के आधार पर ड्रॉप-आउट में अंतर नहीं है (सिन्हा एवं सिंह, 2016)। विद्यार्थियों के विद्यालय से पलायन का मुख्य कारण परिवार के लिए अतिरिक्त आय अर्जन हेतु किसी आर्थिक कार्य में जुड़ना है (जोसेफ, दिरान्गु, 2015)।

भारत में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति

स्वतंत्रता के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा को गतिशील बनाने एवं देश की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु अनेक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया। समय-समय पर विभिन्न शिक्षा नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें ताराचंद समिति (1948), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), शिक्षा आयोग (1964–66) प्रमुख हैं। इसके साथ ही साथ लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा पर अलग से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। मार्च, 2009 में प्रारंभ की गई 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' में विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की पहल की गई। ऐसे अनेक सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों के बावजूद प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में गिरावट एक ज्वलंत शैक्षिक मुद्दा बना हुआ है।

तालिका 1— भारत में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (प्रतिशत में)

शिक्षा स्तर	2014–15	2015–16	2016–17
प्रारंभिक शिक्षा स्तर (1–8)	96.39	96.42	93.55
माध्यमिक शिक्षा स्तर (9–10)	76.91	79.30	79.35
उच्चतरतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (11–12)	52.54	55.73	55.40

स्रोत— *यू-डायस — फ्लैश स्टेटिस्टिक्स 2016–17*. न्यूपा, नयी दिल्ली.

© NCERT not to be republished

तालिका 1 से स्पष्ट है कि भारत में प्रत्येक वर्ष (2014–15 से 2016–17 के बीच) प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में तीव्र गिरावट हुई है और सकल नामांकन अनुपात में यह गिरावट माध्यमिक शिक्षा के अपेक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में तेज़ी से हुई है। प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक एवं माध्यमिक तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर के सकल नामांकन अनुपातों के बीच ज़्यादा अंतर है और यह अंतर यथावत रहा है। सकल नामांकन अनुपात में यह अंतर माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बीच और ज़्यादा है।

बजट 2020–21 के प्रस्तुतीकरण के दौरान भारत सरकार की वित्त मंत्री ने यह खुशी जाहिर की कि 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। शिक्षा के सभी स्तर पर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात अब अधिक है। प्रारंभिक स्तर पर बालकों का सकल नामांकन अनुपात 89.28 प्रतिशत तथा बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 94.32 प्रतिशत है। जबकि माध्यमिक स्तर पर बालकों में यह अनुपात 78 प्रतिशत और बालिकाओं में 81.32 प्रतिशत है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर यह अनुपात घटकर बालकों में 57.54 प्रतिशत व बालिकाओं मे 59.70 प्रतिशत हो गया है (बजट 2020–2021 वित्त मंत्री का भाषण 1 फ़रवरी 2020)। अतः यह बहुत ही चिंतनीय विषय है कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में तेज़ी से गिरावट हो रही है।

बिहार में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति

'बिहार राज्य की बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011' के लागू होने के बाद बिहार में प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। बिहार में कक्षा 8 में प्रतिवर्ष नामांकन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, पर वैसी वृद्धि कक्षा 9 एवं कक्षा 11 नामांकन में नहीं दिखाई देती है, इन कक्षाओं में नामांकन में अपेक्षाकृत काफ़ी धीमी गति से वृद्धि हुई है। इस प्रकार से बिहार में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9 एवं कक्षा 11) में नामांकन में तीव्र गिरावट आई है। नामांकन में यह गिरावट वर्ष 2016–17 में और भी ज़्यादा रही है।

आरेख 1— बिहार में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट की प्रवृत्ति

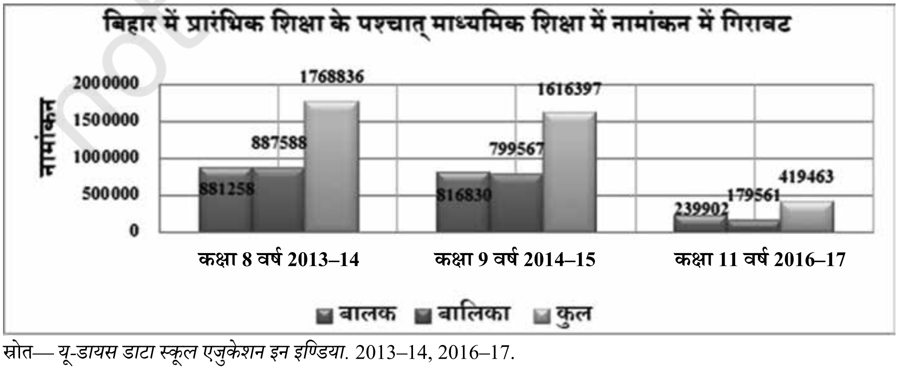

स्रोत— *यू-डायस डाटा स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया*. 2013–14, 2016–17.

© NCERT not to be republished

आरेख 1 से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8) के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9) एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 12) में नामांकन में तीव्र गिरावट हो रही है। प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 8)के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 9) के अपेक्षाकृत उच्चतर माध्यमिक शिक्षा (कक्षा 11) में यह गिरावट और तेज़ी से हो रही है। कक्षा 8 (1768836) के पश्चात् कक्षा 9 (1616397) में कुल गिरावट 8.6 प्रतिशत रही है। वहीं बालकों में यह गिरावट 7.31 प्रतिशत रही, जबकि बालिकाओं में यह गिरावट 9.91 प्रतिशत रही है। इसी प्रकार कक्षा 9 (1616397) के पश्चात् कक्षा 11 (419463) में नामांकन में गिरावट 74.04 प्रतिशत रही है। वहीं बालकों में यह गिरावट 70.6 प्रतिशत रही जबकि बालिकाओं में यह गिरावट 77.28 प्रतिशत रही है।

आरेख 2 से स्पष्ट है कि बिहार में निम्न माध्यमिक शिक्षा स्तर (9) के पश्चात् उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर (11) में नामांकन में गिरावट वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की तुलना में वर्ष 2016–17 ज़्यादा रहा है और यह गिरावट बालिकाओं में और भी ज़्यादा रही है। वर्ष 2016–17 में बालकों के अपेक्षाकृत बालिकाओं के नामांकन में गिरावट 6.91 प्रतिशत ज़्यादा रही है। अतः इसी तथ्य की गहराई से पड़ताल करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर शोधक ने इस शोध अध्ययन का चयन किया। प्रस्तुत शोध पत्र इसी शोध हेतु किए गए पूर्व अध्ययन (पायलट स्टडी) के दौरान संगृहीत किए गए आँकड़ों के आधार पर लिखा गया है।

इस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में तीव्र गिरावट शिक्षा के क्षेत्र में एक गंभीर चिंता का विषय है। शोध सर्वेक्षण से यह स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया गया है, परंतु माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत के नामांकन पर प्रभाव के संदर्भ में और विशेषकर बिहार के संदर्भ मे पर्याप्त अध्ययन दृष्टिगत नहीं हुआ है।

आरेख 2— बिहार में कक्षा 9 के पश्चात् कक्षा 11 में नामांकन में प्रतिशत गिरावट

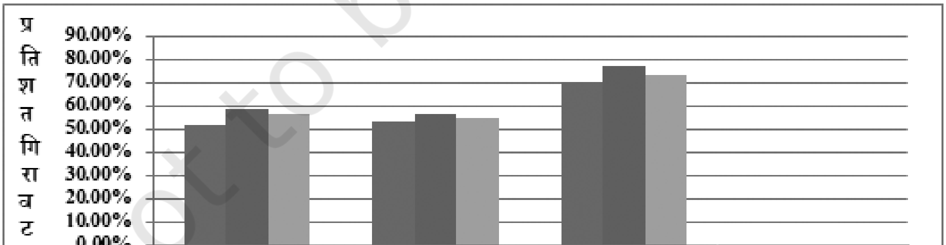

	2014-15	2015-16	2016-17	
बालक	52.00%	53.42%	70.63%	
बालिका	59.20%	56.53%	77.54%	
कुल	56.60%	54.94%	74.04%	

स्रोत— *यू-डायस डाटा स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया.* 2013–14, 2016–17

© NCERT not to be republished

उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य थे—

- बिहार के कैमूर जिले में माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत की पहचान एवं गणना करना।
- बिहार के कैमूर जिले में माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत के रूप में अवसर लागत की गणना करना।
- बिहार के कैमूर जिले में माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत का नामांकन पर प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया

इस शोध अध्ययन में 'मिक्स्ड मेथड एप्रोच' के 'एक्सप्लेनेटरी सिक्वेन्सियल डिज़ाइन' का अनुसरण किया गया था।

न्यादर्श

इस अध्ययन हेतु बिहार के कैमूर जिले के माध्यमिक शिक्षा स्तर (9–12) के विद्यार्थियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया गया—

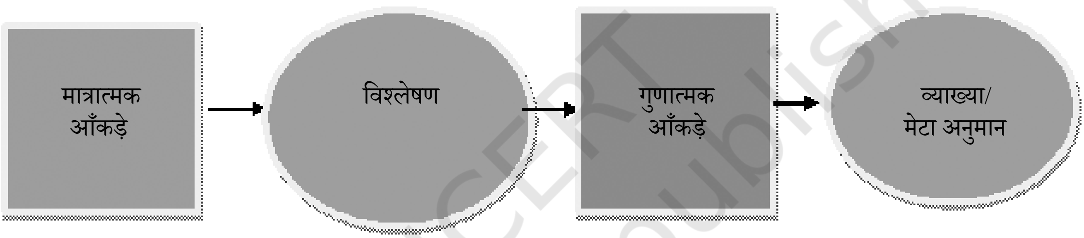

न्यादर्श एवं न्यादर्शन प्रक्रिया

मात्रात्मक चरण

अनुपातिक स्तरीकृत प्रतिचयन विधि द्वारा माध्यमिक स्तर (9–12) के कुल 100 विद्यार्थियों से प्रश्नावली द्वारा आँकड़े संकलित किए गए।

गुणात्मक चरण

उपरोक्त समुच्चय से चार विद्यार्थियों एवं 10 अभिभावकों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि का प्रयोग कर अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा आँकड़े संकलित किए गए।

बिहार के कैमूर जिले के माध्यमिक शिक्षा में पहचान की गई अदृश्य लागत, जैसे— किताब, स्टेशनरी, ट्यूशन/कोचिंग, परिवहन, मध्याह्न भोजन व जलपान, पोशाक एवं अवसर लागत की विभिन्न विमाओं (डाइमेंशंस) को ध्यान में रखते हुए शोधक ने एक प्रश्नावली, जिसमें कुल 10 प्रश्न थे,

© NCERT not to be republished

का निर्माण करके माध्यमिक शिक्षा (9–12) के 100 विद्यार्थियों से मात्रात्मक आँकड़े संकलित किए गए। इसमें कक्षा 9 –10 व 11–12 के 30–30 बालक एवं 20–20 बालिकाएँ शामिल थीं। इसके विश्लेषण के बाद शोधक ने इन्हीं मुद्दों (अदृश्य लागत) पर आधारित एक अर्द्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करके मात्रात्मक चरण के न्यादर्श के समुच्चय से कक्षा 10 के बाद 'पढ़ाई छोड़ देने वाले' दो बालक, दो बालिका एवं उनके चार अभिभावक एवं कक्षा 9–10 व 11–12 में नामांकित बालिका के दो अभिभावक तथा बालकों के चार अभिभावकों का उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा चयन कर अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची द्वारा आँकड़े संकलित किए गए। कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद लगभग एक साल तक अपने संबंधित विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं ले जाने वाले विद्यार्थियों को 'पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थी' के रूप में माना गया तथा विद्यालय में दिए उनके स्थायी पते के माध्यम से उन तक पहुँच बनाई गई। इस प्रकार से मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह के आँकड़ों के आधार पर अदृश्य लागत का विश्लेषण किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

1. *माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत*

तालिका 1 से स्पष्ट है कि किताब एवं स्टेशनरी पर वार्षिक ₹ 2000 या इससे कम के अपेक्षाकृत ₹ 2000 से अधिक खर्च करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज़्यादा है। इस मद पर ₹ 2000 या इससे कम खर्च करने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों का प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि ₹ 2000 से अधिक खर्च करने में लड़कों का प्रतिशत ज़्यादा है। बालिकाओं

तालिका 1— अदृश्य लागत (कक्षा 9–10)

मद	वार्षिक खर्च (रूपये में)	बालकों का (प्रतिशत)	कुल बालकों की संख्या	बालिकाओं का प्रतिशत	कुल बालिकाओं की संख्या
किताब एवं स्टेशनरी	≤2000	26 प्रतिशत	30	40 प्रतिशत	20
	>2000	74 प्रतिशत		60 प्रतिशत	
कोचिंग	≤3000	68 प्रतिशत	28	80 प्रतिशत	15
	>3000	32 प्रतिशत		20 प्रतिशत	
सार्वजनिक परिवहन	≤5000	67 प्रतिशत	12	57 प्रतिशत	7
	>5000	33 प्रतिशत		43 प्रतिशत	
मध्याह्न भोजन या जलपान	≤2500	30 प्रतिशत	23	40 प्रतिशत	15
	>2500	70 प्रतिशत		60 प्रतिशत	
पोशाक	≤1000	16 प्रतिशत	30	0 प्रतिशत*	20
	>1000	84 प्रतिशत		0 प्रतिशत	

*बिहार सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर (9–12) की सभी बालिकाओं को बालिका पोशाक योजना के तहत ₹1000 वार्षिक प्रति बालिका पोशाक राशि दी जाती है।

© NCERT not to be republished

की अपेक्षा बालकों का किताब एवं स्टेशनरी पर अधिक खर्च होने का मुख्य कारण बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का शैक्षिक क्रियाकलापों, जैसे— नियमित स्कूल-कोचिंग जाना, कोचिंग में प्रयोग की जाने वाली एक से अधिक पब्लिकेशन की किताबों पर खर्च करना है, में अधिक भागीदारी है। कोचिंग पर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का खर्च अधिक है, जिसका मुख्य कारण बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का एक से अधिक विषय की कोचिंग करना है। इसके अलावा अधिकतर बालिकाएँ अपने गाँव-पड़ोस में ही कोचिंग करती हैं जिसके कारण उन्हें कोचिंग सस्ती भी मिल जाती है, वहीं अधिकतर बालक कस्बे/प्रखण्ड में ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं में जाकर कोचिंग करते हैं, जिससे बालकों की कोचिंग बालिकाओं की अपेक्षा महँगी होती है। यद्यपि अधिकतर विद्यार्थी पैदल या साईकिल से स्कूल जाते हैं। फिर भी सार्वजनिक परिवहन पर बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का खर्च अधिक होता है। चूँकि परंपरागत रूप से बालिकाओं के घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाने वाला मुद्दा रहा है, जो इन बालिकाओं के संदर्भ में यहाँ भी दिखाई दे रहा है। वहीं बालक अपेक्षाकृत सार्वजनिक परिवहनों में खड़े होकर तथा अन्य साधनों द्वारा भी विद्यालय आते-जाते हैं जिसके कारण बालकों का परिवहन खर्च बालिकाओं की अपेक्षा कम होता है।

तालिका 1 से स्पष्ट है की 84 प्रतिशत बालकों की पोशाक खर्च ₹1000 से ज़्यादा है, चूँकि बिहार सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर (9–12) की सभी बालिकाओं को ₹1000 प्रति बालिका पोशाक राशि दी जाती है। इसलिए उनका पोशाक पर खर्च कम है पर फिर भी अभिभावकों को बालिकाओं के पोशाक पर कुछ अतिरिक्त, औसतन ₹1200 प्रतिवर्ष, खर्च करना पड़ता है। इस संदर्भ में अभिभावकों का कहना है कि यह पोशाक राशि सरकार एक तय समय सीमा के अंदर नहीं देती। जब बालिकाएँ संबंधित कक्षा पास कर चुकी होती हैं तब यह राशि उनके बैंक खाते में जमा होती है। अगर यह राशि समय से मिलती भी है तो ₹1000 में पोशाक जिसमें जूते-मोज़े, स्वेटर-स्कार्फ़ आदि खरीदना मुश्किल होता है। जबकि सरकार ने बालिका पोशाक योजना की शुरुआत, पोशाक के अभाव में लड़कियाँ बीच में पढ़ाई न छोड़े, इस सोच के साथ की थी। अतः सरकार को इस पोशाक राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि सरकार अपने सपनों को वास्तविक रूप में साकार कर सके। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा (9–10) में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का किताब एवं स्टेशनरी, कोचिंग, मध्याह्न भोजन-जलपान तथा पोशाक पर खर्च अधिक है जबकि बालिकाओं का परिवहन पर खर्च बालकों की अपेक्षा अधिक है।

तालिका 2 से स्पष्ट है कि कक्षा (11–12) के अधिकतर विद्यार्थी किताब एवं स्टेशनरी पर प्रतिवर्ष ₹2000 से अधिक खर्च करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों में बालिकाओं (65 प्रतिशत) की तुलना में बालकों (75 प्रतिशत) का प्रतिशत ज़्यादा है। कक्षा (11–12) में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का कला वर्ग, जैसे— परंपरागत कोर्स में नामांकन अधिक है, वहीं विज्ञान वर्ग में बालकों का अपेक्षाकृत

तालिका 2— अदृश्य लागत (कक्षा 11–12)

मद	वार्षिक खर्च (रूपये में)	बालकों का (प्रतिशत)	कुल बालकों की संख्या	बालिकाओं का प्रतिशत	कुल बालिकाओं की संख्या
किताब एवं स्टेशनरी	≤2000	25 प्रतिशत	30	35 प्रतिशत	20
	>2000	75 प्रतिशत		65 प्रतिशत	
कोचिंग	≤3000	62 प्रतिशत	26	75 प्रतिशत	12
	>3000	38 प्रतिशत		25 प्रतिशत	
सार्वजनिक परिवहन	≤5000	57 प्रतिशत	7	83 प्रतिशत	6
	>5000	43 प्रतिशत		27 प्रतिशत	
मध्याह्न भोजन या जलपान	≤2500	33 प्रतिशत	21	33 प्रतिशत	18
	>2500	67 प्रतिशत		67 प्रतिशत	
पोशाक	≤1000	10 प्रतिशत	30	0 प्रतिशत *	20
	>1000	90 प्रतिशत		0 प्रतिशत	

*बिहार सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर (9–12) की सभी बालिकाओं को बालिका पोशाक योजना के तहत ₹1000 वार्षिक प्रति बालिका पोशाक राशि दी जाती है।

नामांकन अधिक है, इसलिए बालकों की शैक्षणिक सक्रियता के साथ किताब एवं स्टेशनरी पर खर्च अधिक होता है। कला वर्ग की अपेक्षा विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी अधिक कोचिंग जाते हैं, प्रयोगशाला के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं तथा वे असाइनमेंट पर धन खर्च करते हैं। परिणामत: किताब एवं स्टेशनरी तथा कोचिंग पर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का खर्च अधिक होता है।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का सार्वजनिक परिवहन पर खर्च अधिक होता है। चूँकि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बालकों की अपेक्षा अधिकतर लड़कियाँ परंपरागत विषयों में नामांकित हैं तथा पारिवारिक कार्यों में अधिक व्यस्तता के कारण स्वयं लड़कियाँ एवं उनके अभिभावक नियमित स्कूल न जाने की मानसिकता से ग्रसित होते हैं, इस कारण बालिकाओं की वार्षिक परिवहन लागत बालकों की अपेक्षा कम है। इस प्रकार उच्चतर माध्यमिक स्तर (11–12) पर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की सभी मदों, जैसे— किताब एवं स्टेशनरी, कोचिंग, परिवहन, मध्याह्न भोजन-जलपान तथा पोशाक पर खर्च अधिक होता है।

माध्यमिक स्तर (9–12) के चयनित कुल छह विद्यार्थियों के अभिभावकों के अनुसार उनके बेटे/बेटियों की किताब पर वार्षिक लागत क्रमश: ₹1200, ₹1000, ₹1100, ₹1400, ₹1250 तथा ₹1600 है। इस प्रकार से अभिभावकों के अनुसार किताब पर वार्षिक

© NCERT not to be republished

औसत लागत ₹1258 है। कक्षा (9–10) के चयनित तीनों विद्यार्थियों के अभिभावकों का 'निराश मन' से कहना था कि पढ़ाई पर बढ़ते बोझ के कारण उनके बेटे/बेटियाँ सभी विषयों की किताबें नहीं खरीद पाते हैं, बल्कि कुछ मुख्य विषयों जिनकी ट्यूशन/कोचिंग में ज़्यादा ज़रूरत होती है (गणित, भौतिकी एवं रसायन) उन्हीं विषयों की किताब खरीद पाते हैं। वहीं कक्षा (11–12) के चयनित तीन विद्यार्थियों के अभिभावकों में से एक अभिभावक का कहना था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एन.सी.ई.आर.टी. की लगभग सभी ज़रूरी किताबें खरीदी हैं, जबकि दो अभिभावकों का कहना था कि किताब पर अधिक खर्च करने में सक्षम न होने के कारण उनके बच्चे जिन विषयों के ट्यूशन व कोचिंग पढ़ते हैं, सिर्फ़ उन्हीं विषयों की किताबें (गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान) खरीदी हैं बाकि विषयों के लिए अलग-अलग पाठ्यपुस्तक न खरीद कर बोर्ड परीक्षा पर आधारित एकीकृत क्यूश्चन बैंक/गाइड से ही काम चलाते हैं।

2. *अवसर लागत शिक्षा में अदृश्य लागत के रूप में*

विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई जारी रखने के कारण त्याग किए गए अन्य विकल्प (जैसे— कमाने/नौकरी करने) के मौद्रिक मूल्य को अवसर लागत के रूप में माना गया है। अवसर लागत माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

तालिका 3 से स्पष्ट है की कक्षा (9–10) के 50 विद्यार्थियों में से 66 प्रतिशत विद्यार्थियों का यह मानना है कि यदि वह वर्तमान में पढ़ाई नहीं करते तो वे अपने अभिभावकों के व्यवसाय में सहयोग करते, जबकि 20 प्रतिशत विद्यार्थियों का यह मानना है कि

तालिका 3— अवसर लागत माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत के रूप में

अवसर लागत (रुपये में)											
कक्षा	जेंडर	अवसर (यदि वर्तमान में आप पढ़ाई नहीं करते तो क्या काम करते?)				अवसर लागत (रुपये में) यदि आप वर्तमान में पढ़ाई न करके कोई रोज़गार/व्यवसाय/मज़दूरी करते तो आप मासिक कितना कमा लेते?					
		कुछ नहीं	*नौकरी*	*अभिभावक के व्यवसाय में सहयोग*	*अन्य*	*1500–2500*	*2501–3500*	*3501–5000*	*5000 से ऊपर*	*1500 से कम*	*कुल*
(9–10)	बालक	4	3	21	2	16	4	4	3	3	30
	बालिका	6	2	12	0	11	4	1	2	2	20
	कुल	10	5	33	2	27	8	5	5	5	50
(11–12)	बालक	10	6	14	0	18	5	4	1	2	30
	बालिका	4	2	12	2	12	2	0	2	4	20
	कुल	14	8	26	2	30	7	4	3	6	50

© NCERT not to be republished

वह नौकरी करते। वहीं 54 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि यदि वे वर्तमान में पढ़ाई नहीं करते तो कोई रोज़गार/व्यवसाय/मज़दूरी करते जिसमें वे महीने में ₹1500–₹2500 कमा लेते। इसी तरह कक्षा (11–12) के 50 विद्यार्थियों में से 60 प्रतिशत विद्यार्थियों का मानना है कि यदि वह वर्तमान में पढ़ाई नही करते तो कोई रोज़गार/व्यवसाय/मज़दूरी करते जिससे वे महीने में ₹1500–₹2500 कमा लेते। इस प्रकार से माध्यमिक स्तर (9–12) के 100 विद्यार्थियों में से अधिकतम 57 प्रतिशत विद्यार्थियों की वार्षिक अवसर लागत औसतन ₹18000–₹37500 है, जबकि बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की अवसर लागत अधिक है।

माध्यमिक स्तर की चयनित दो बालिकाओं के अभिभावकों का कहना है कि यदि मेरी बेटी वर्तमान में पढ़ाई नहीं करती तो वह घरेलू कामों की ज़िम्मेदारियाँ संभालते हुए भविष्य के लिए सिलाई-बुनाई का हुनर सिखती या छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। इस प्रकार से वह महीने में औसतन ₹2000 कमा लेती। वहीं चार बालकों के अभिभावकों में से तीन अभिभावकों का कहना है कि यदि मेरा बेटा अभी पढ़ाई नहीं करता तो दूसरे प्रदेशों (दिल्ली, मुंबई) में जाकर किसी भी तरह का काम (मज़दूरी) करके ₹4000–₹5000 महीना कमा लेता। जबकि एक बालक के अभिभावक का कहना है कि यदि मेरा बेटा अभी पढाई नहीं करता तो मैं एक किराना की दुकान खुलवा देता जिससे महीने में ₹8000–₹10000 की आमदनी अवश्य होती। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा का तात्कालिक लाभ चाहते हैं तथा परिवार की तात्कालिक एवं बुनियादी ज़रूरतें भविष्य में शिक्षा से होने वाले अपेक्षित लाभों पर तरजीह नहीं देती हैं। ऐसे ही मुद्दों पर किए गए अन्य शोध, जोसेफ, किन्गुरी दिरान्गु (2015) भी इसी तरह के परिणाम को प्रदर्शित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा में अदृश्य लागत के अलावा अवसर लागत विद्यार्थियों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की एक वजह है।

3. *माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत का नामांकन पर प्रभाव*

आज विद्यालयों में अपर्याप्त सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, खराब शैक्षिक माहौल के कारण अधिकतर (81 प्रतिशत) विद्यार्थी ट्यूशन/कोचिंग पर आश्रित हैं। माध्यमिक स्तर (9–12) के अधिकतर (79 प्रतिशत) विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का कहना है कि हम लोगों के शिक्षा पर होने वाले कई खर्चों में ट्यूशन/कोचिंग पर होने वाला खर्च सबसे अधिक तकलीफदेह/असहज महसूस कराने वाला खर्च है। कक्षा 10 पास करने के बाद 'पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थी' मुख्यतया आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, कृषक मज़दूर, फेरीवाले के रूप में पहचाने जाते हैं। पढ़ाई छोड़ देने वाले दो बालक, दो बालिका एवं उनके अभिभावकों का कहना था कि पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण परिवार की आर्थिक मजबूरी थी। पढ़ाई में बढ़ते हुए खर्च का वहन कर पाना मुश्किल था। एक दलित महिला अभिभावक, जो पेशे से 'चूड़ी की फेरी करने वाली' है, का कहना

© NCERT not to be republished

है कि, "लोग (सरकार) कहते हैं की बेटी को पढ़ाना चाहिए! बेटी को पढ़ाना चाहिए! लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पढ़ाई-लिखाई कितनी महंगी हो गई है! किताब-कापी से लेकर स्कूल आने-जाने में कितना खर्च बढ़ गया है! आज के इस ज़माने में बिना ट्यूशन/कोचिंग की कोई पढ़ाई हो नहीं पा रही है!10–12 तक किसी तरह पढ़ भी ले तो क्या सरकार नौकरी दे देगी? पढ़ाई में इतना खर्च करने से क्या फ़ायदा? इससे बढ़िया है कि कोई हुनर सीख लें! पढ़ाई करने पर मेहनत-मज़दूरी से जो भी पैसे कमाने के अवसर होते हैं वो भी हाथ से निकल जाते हैं!" एक 16 वर्षीय मुस्लिम छात्र जो 10वीं पास कर मोटर गैरेज में मज़दूरी करता है और मेकेनिक का काम भी सीखता है एवं उसके पिता जो की बीड़ी बनाकर जीविकोपार्जन करते हैं, दोनों एकसाथ, एक स्वर में पूरे आत्मविश्वास के साथ तर्क देते हैं कि, "इतना पैसा लगाकर और कमाने का समय गँवाकर पढ़ना-लिखना बेकार है! कक्षा 9–10 की पढ़ाई-लिखाई में ही मेरा करीब ₹12000 लग गया। इससे बढ़िया तो कक्षा (1–8) तक था; खाने को भी मिलता था (मध्याह्न भोजन) और एक पैसा भी नहीं लगता था! कक्षा 9 में जाते ही खर्च बढ़ना शुरू हो गया। किताब, कॉपी, कोचिंग, ड्रेस, परीक्षा फ़ीस, तमाम खर्च बढ़ गया! इतना खर्च बढ़ गया है कि पढ़ाई के बारे में सोच भी नहीं सकते!"

अतः हम कह सकते हैं कि बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट का एक प्रमुख कारण अदृश्य लागत का बढ़ना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार, आर्थिक विपन्नता के कारण शिक्षा का तात्कालिक लाभ चाहते हैं। परिवार की तात्कालिक एवं बुनियादी ज़रूरतें भविष्य में शिक्षा से होने वाले अपेक्षित लाभों पर तरजीह नहीं देती हैं। मजबूरीवश वे शिक्षा के भविष्य के आर्थिक लाभ को अनदेखा कर देते हैं, जबकि संपन्न परिवारों में इस तरह कि स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चे पढ़ाई-लिखाई छोड़कर पैसे कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिससे न केवल बालश्रम बढ़ता है, बल्कि अकुशल मानव संसाधन को भी बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष

यद्यपि बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रायोजित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है फिर भी माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत का अस्तित्व बना हुआ है। माध्यमिक शिक्षा में बढ़ती हुई अदृश्य लागत विद्यालय में विद्यार्थियों की सहभागिता एवं नामांकन को हतोत्साहित करती है, जिससे ड्रॉप-आउट को बढ़ावा मिलता है। अकसर बच्चों को अपने माता-पिता की मदद करने या परिवार की पूरक आय के लिए घर या बाहर काम करने की आवश्यकता होती है, परिवार की तात्कालिक एवं बुनियादी ज़रूरतें भविष्य में शिक्षा से होने वाले अपेक्षित लाभों पर तरजीह नहीं देती हैं। बालिका शिक्षा के संदर्भ में वैसे भी समाज की नकारात्मक सोच रही है और यदि शिक्षा में ऐसे ही अदृश्य लागत बढ़ती गई तो बालिका शिक्षा की स्थिति और भयावह हो जाएगी। शिक्षा में बढ़ते हुए आर्थिक बोझ के कारण विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थी समुचित व ज़रूरी

© NCERT not to be republished

अध्ययन सामग्री, जैसे— किताब-स्टेशनरी आदि का समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे न केवल उनकी तात्कालिक अकादमिक उपलब्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, बल्कि वे विद्यार्थी शार्ट-कट पढ़ने के आदी हो जाते हैं और यही भविष्य में शैक्षिक अवनति के मुख्य कारण बन जाते हैं। यही कारण है कि आज उच्चतर शिक्षा का ताल्लुक सिर्फ़ एक विशेष वर्ग से ही रह गया है और समाज का एक बड़ा हिस्सा उच्चतर शिक्षा से वंचित होता जा रहा है। विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास का दंभ भरने वाली सरकारें भी ऐसे मुद्दों का संज्ञान होते हुए भी अनभिज्ञ बनी हुई हैं। बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा में नामांकन में गिरावट का एक मुख्य कारण अदृश्य लागत का बढ़ना है। जिस प्रकार 6–14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना आदि अधिनियम तथा योजनाओं के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अदृश्य लागत लगभग न के बराबर हुई है जिसके परिणामस्वरूप नामांकन में वृद्धि हुई है तथा 'विद्यालय बीच में छोड़ देने की दर' (ड्रॉप-आउट) भी कम हुई है, ठीक उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा में भी ऐसी पहल की ज़रूरत है।

शैक्षिक निहितार्थ

आमतौर पर शैक्षिक अनुसंधान में किसी भी समस्या का चयन शैक्षिक क्षेत्र में सुधार की संभावना पर आधारित होता है। अतः यह शोध अध्ययन माध्यमिक शिक्षा में नामांकन पर अदृश्य लागत के प्रभाव पर आधारित है। इस अध्ययन से प्राप्त परिणाम एक समझ विकसित करते हैं कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अदृश्य लागत क्या है? बालक तथा बालिकाओं दोनों के शैक्षिक अवसरों पर शिक्षा में अदृश्य लागत का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तथा ये कारक माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन को कैसे प्रभावित करते हैं? इस अध्ययन के आधार पर ऐसे मुद्दों से संबंधित शिक्षा नीति के कुछ मसौदें तैयार किए जा सकते हैं। जिस प्रकार आर.टी.ई. 2009, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना जैसे अधिनियम तथा योजनाओं से प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि हुई, उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा स्तर पर उपयुक्त अधिनियम एवं योजनाएँ बनाई जा सकती हैं, जिससे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अदृश्य लागत न्यूनतम और नामांकन अधिकतम हो सके। साथ ही साथ, इस शोध अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके नीतिगत सुझाव दिए जा सकें कि बिहार जैसे 'माध्यमिक शिक्षा स्तर पर निम्न नामांकन दर वाले राज्य' में सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्गों के विद्यार्थियों की माध्यमिक शिक्षा तक बराबर पहुँच हो सके। इसके अलावा इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित शैक्षिक निहितार्थ हैं—

1. विद्यार्थियों को किताबों पर अधिक खर्च न करना पड़े इसलिए सरकार प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करे। साथ ही साथ जिन विद्यालयों में पुस्तकालय पहले से ही हैं वे समुचित ढंग से इस प्रकार क्रियाशील हों कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके ताकि विद्यार्थियों की किताबों पर न्यूनतम खर्च करना पड़े। पुस्तकालयों में सभी

विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करें, साथ ही साथ विद्यार्थियों को पुस्तकालय उपयोग करने के लिए जागरूक एवं प्रोत्साहित किया जाए।

2. विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों, खासकर विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षकों की कमी एवं खराब शैक्षिक माहौल के कारण माध्यमिक स्तर के अधिकतर (81 प्रतिशत) विद्यार्थी ट्यूशन/कोचिंग पर आश्रित हैं। माध्यमिक स्तर (9–12) के अधिकतर (79 प्रतिशत) विद्यार्थियों एवं अभिभावकों कहना है कि हम लोगों के शिक्षा पर होने वाले कई खर्चों में से ट्यूशन/कोचिंग पर होने वाला खर्च सबसे अधिक तकलीफदेह/असहज महसूस कराने वाला खर्च है। अतः सरकार को सभी माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा समय पर कोर्स पूरा करने पर बल देना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन/कोचिंग पर खर्च न करना पड़े, साथ ही साथ कोचिंग/ट्यूशन जैसे महंगे शैक्षिक संस्थानों पर रोक लगे।

3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय एवं 7–8 किलोमीटर की दूरी पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जाए ताकि विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा हेतु घर से कम से कम दूरी तय करनी पड़े। साथ ही साथ नामांकित विद्यार्थियों के लिए साईकिल उपलब्ध कराने की 'मुख्यमंत्री साईकिल योजना' का लाभ शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से ही मिलनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को कम से कम परिवहन लागत वहन करना पड़े।

4. सरकार एवं विद्यालय प्रशासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहन छात्रवृत्ति को नियमित एवं समय से प्रदान करना सुनिश्चित करें ताकि विद्यार्थी किताबों एवं स्टेशनरी पर होने वाले आवश्यक खर्चों को पूरा कर सके जिससे उनके अभिभावकों को पढ़ाई-लिखाई संबंधी अतिरिक्त लागतों का वहन न्यूनतम करना पड़े।

5. शिक्षा में बढ़ती हुई अदृश्य लागत के कारण लोगों में शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित न हो, इसके लिए सरकार एवं शिक्षा प्रेमियों द्वारा जनसंचार के विभिन्न माध्यमों से लोगों में जन-जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ताकि लोगों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सके। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो इसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव बालिका शिक्षा पर पड़ेगा। बालिका शिक्षा के संदर्भ में वैसे भी समाज की नकारात्मक सोच रही है और यदि शिक्षा में ऐसे ही अदृश्य लागत बढ़ती गई तो बालिका शिक्षा की स्थिति और भयावह हो जाएगी।

6. माध्यमिक स्तर पर व्यवसायपरक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात् विभिन्न तरह के आजीविका के साधनों को चुन सके और शिक्षा उनके लिए आर्थिक

© NCERT not to be republished

बोझ न बन सके। इससे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित होगा।

7. बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा की ओर आकृष्ट करने एवं स्कूल ड्रेस के अभाव में बालिकाएँ बीच में ही पढ़ाई न छोड़ दें, इस सोच के साथ बिहार सरकार ने बालिका पोशाक योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में माध्यमिक स्तर की सभी बालिकाओं को प्रति बालिका ₹1000 की दर से पोशाक राशि दी जाती है। अतः सरकार को इस पोशाक राशि में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि सरकार अपने सपनों को वास्तविक रूप में साकार कर सके। साथ ही यह पोशाक राशि आर्थिक रूप से कमज़ोर बालकों को भी दी जानी चाहिए।
8. प्रारंभिक शिक्षा की तरह माध्यमिक शिक्षा को भी पूर्णतया राज्य द्वारा वित्त पोषित/करना चाहिए ताकि माध्यमिक शिक्षा में अदृश्य लागत न्यूनतम हो सके तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर सभी सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग के विद्यार्थियों के बराबर पहुँच हो सके।

संदर्भ

असर. 2017. *बियांडबेसिक*. 12 अक्तूबर, 2018 को http://www.asercentre.org/Keywords/p/315.html। से प्राप्त किया गया है.

जोसेफ, किन्गोरी नद्रिन्गु. 2015. *एन्फ्लुशन ऑफ़ कास्ट इन एजुकेशन ऑन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेकंडरी स्कूल किकियू सब कंट्री केन्या*. पब्लिश्ड मास्टर थीसिस. यूनिवर्सिटी ऑफ़ नैरोबी. 20 जनवरी, 2018 को http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/92828/Kingori_Influence%20Of%20Hidden%20Costs%20In%20Education%20On%20Students'%20Participation%20In%20Public%20Secondary%। से प्राप्त किया गया है.

न्यामबुरा, नैन्सीमचुरी. 2013. *इफेक्ट ऑफ़ हिडेन कास्ट्स ऑन प्यूपल्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स इन नेयरी म्युनिसिपलिटी*. केन्या, पब्लिश्ड मास्टर थीसिस. युनिवर्सिटी आफ़ नैरोब. 08 जनवरी, 2016 को https://pdfs.semanticscholar.org/a87b/8eb6bc3de93c1daa49440d00dea52b51c02c.pdf से प्राप्त किया गया है.

न्यूपा. 2016. *यू-डायस डाटा*. 20 नवंबर, 17 को http://udise.in/src.html से प्राप्त किया गया है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस*. डिपार्टमेंट ऑफ़ हायर ऐजुकेशन. स्टैटिस्टिक्स डिविजन, भारत सरकार. 10 अगस्त, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf। से प्राप्त किया गया है.

——. *एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स एट ए ग्लांस*. डिपार्टमेन्ट आफ़ हायर एजुकेशन, स्टेटिस्टिक्स डिविजन. 10 अगस्त, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/ESG2016_0.pdf। से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished

——. *सेलेक्टेड इंफ़ोर्मेशन ऑफ़ स्कूल एजुकेशन 2011–12*. स्टैटिस्टिक्स डिविजन, भारत सरकार. 12 नवंबर, 2017 को http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/statistics/SISH201112.pdfl से प्राप्त किया गया है.

यूनेस्को. 2015. *सभी के लिए शिक्षा 2000–2015— उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ*. 20 दिसंबर, 17 को http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002325/232565hin.pdfl से प्राप्त किया गया है.

सिन्हा, प्रीती और सुशील कुमार सिंह. 2016. *ए स्टडी ऑन ड्रॉप-आउट अमंग सोशली डिसएडवांटेजेस स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ़ बिहार*. 12 सितंबर, 2017 को https://www.slideshare.net/novelty3/a-study-on-dropouts-among-socially-disadvantaged-school-students-of-bihar से प्राप्त किया गया है.

सेन, अमर्त्य और ड्रेजी जीन. *इंडिया— इकोनोमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्च्युनिटी*. 12 नवंबर, 2017 को https://www.amazon.com/IndiaEconomicDevelopmentSocialOpportunity/d p/0198290128/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1310742863&sr=1-2 से प्राप्त किया गया है.

© NCERT not to be republished